न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा ...अफलातून 225... मु. नं0 ...गोकत 60 वर्ष 2018...

दिनांक	आज्ञा पत्र	
19-6-18	अपील दर्ज रजिस्टर हो । विवाद का बिन्दू रिजर्व रहेगा ।स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट ने स्थगन प्रार्थना पत्र में कथन किया कि आराजी खसरा 314, 320 कुल किता-2 रकबा 5.49 हैक्टर ग्राम मण्ड्रेला में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं0-1 का 1/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-2 से 7 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है ।जिसको मौके पर हिस्सेनुसार काश्त करते है। आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है । बिना बंटवारा ही अदालत म0 ने एक सहखातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जबकि एक सहखातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । अदालत मातहत ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जिससे अपीलान्ट अपने हिस्से की आराजी का न तो विकास कर सकता और न ही सिंचाई के लिये बिजली का कनेक्शन ले सकता है ।अत: अदालत मातहत के निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे ।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र एवं अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने अन्तरिम आदेश जारी कर उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करने, अकृषि योग्य नहीं बनाये तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये हैं । अदालत मातहत का यह आदेश प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को एकपक्षीय सुनकर अन्तरिम आदेश पारित किया है । अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र धारा-212 राज0 काश्तकारी अधिनियम का विचारा-धीन है। अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र धारा-212

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	राज0 काश्तकारी अधिनियम का निर्णय अन्तिम रूप से नहीं किया है । हम यहां पर यह उचित मानते है कि अदालत मातहत के अन्तरिम आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न कर अपील को इसी स्तर पर अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इसी निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये 30 दिन में अन्तिम रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में नियत दिनांक को उपस्थित होवें । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया । 19/6/18 (अंकुर [illegible]) एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	